म. प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के ज्ञाप क्रमॉक एफ. 7–13/2004/आ.प्र./एक भोपाल दिनॉक 11 जुलाई 2005. व्दारा जारी म. प्र. राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग जाति प्रमाणपत्र का प्रारुप निम्नानुसार है।

(गुलाबी प्रारुप)

प्रारुप ''एक''

(निर्देश दिनांक 12.3.1997 की कंडिका क्र. 8 (2) देखें)

अन्य पिछड़े वर्गों की जातियों के लिये स्थायी प्रमाण पत्र

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी प्रमाणीकरण

अनुभाग......................................जिला......................................मध्यप्रदेश

पुस्तक क्रमॉक................................ प्रकरण क्रमांक................................

प्रमाण पत्र......................................

जाति प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.. पुत्र/पुत्री..निवासी ग्राम/शहर.. तहसील..................................जिला.................................मध्यप्रदेश के निवासी हैं, जो...जाति के हैं, जिसे पिछड़ा वर्ग के रुप में मध्यप्रदेश शासन आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 8–25–84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 23–4–97 तथा इस संदर्भ में समय–समय पर जारी अधिसूचनाओं व्दारा अधिमान्य किया गया है और जो सूची के क्रमांक ....पर अंकित है.

श्री..और/या उनका परिवार सामान्यतः मध्यप्रदेश के जिला. ....संभाग..में निवास करता है.

यह भी प्रमाणित किया जाता हे कि श्री.. क्रीमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) व्यक्तियों/वर्गों की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका जिसका उल्लेख मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, के ज्ञाप क्रमॉक एफ. 7–26–93–1–आ.प्र दिनांक 8 मार्च 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट ''ई'' की अनुसूची के कॉलम (3) में किया गया है।

2. प्रमाणित किया जाता है आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी...के परिवार की कुल वार्षिक आय रुपये...है.

प्रमाणीकरण अधिकारी के
हस्ताक्षर एवं पदनाम

दिनांक........................

(सील)

विशेष टीप– म. प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के ज्ञाप क्रमॉक एफ. 7–2/96/आ.प्र./एक भोपाल दिनॉक 12 मार्च 1997 के अनुसारः–

(01) प्राधिकृत अधिकारी– जिलाध्यक्ष या अपर जिलाध्यक्ष या उप जिलाध्यक्ष या अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)

(02) उपरोक्त प्रारुप में पैरा क्रमॉक 2 एक पृथक आय प्रमाण पत्र है। जो सभी उम्मीदवारों को देना अनिवार्य नहीं है व इसका क्रीमीलेयर प्रमाणीकरण से कोई सम्बन्ध नहीं है।